

आवेदन


सेवा में,

महाप्रबंधक महोदय,
kewalsachlive.in

पोर्टल न्यूज

पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.-14

कंकड़बाग, पटना- 8000 20 (बिहार)



विषय:- पोर्टल न्यूज **kewalsachlive.in** में कार्य करने की अनुमति के संबंध में।

प्रतिनिधि का नाम :-

पति/पिता का नाम :-.....

ग्राम + मोहल्ला :-.....

पोस्ट :-.....

थाना :-.....

प्रखण्ड :-.....

जिला :-.....

राज्य :-.....

सम्पर्क संख्या :- 0.....0.....

ई-मेल :-.....

कार्यक्षेत्र :-..... पद :-.....

जिला :-..... प्रदेश :-.....

गाड़ी संख्या :-..... ब्लड ग्रुप :-.....

डी एल नं :-..... आधार कार्ड नं :-.....

पोर्टल न्यूज **kewalsachlive.in** के सभी नियम-कानून को पढ़ लिया है और उसका पालन करते हुए समाचार प्रेषण करूंगा/करूंगी और कोई ऐसी खबर नहीं दूंगा/दूंगी जिससे समाज एवं सरकार में गलत संदेश जाये।

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि मेरे आवेदन पर विचार करते हुए पोर्टल न्यूज **kewalsachlive.in** में कार्य करने की अनुमति प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा/रहूँगी।

स्थान :-.....

दिनांक :-..... 20.....

(आवेदक का हस्ताक्षर)

समक्ष,

कार्यपालक दंडाधिकारी

.....
.....

शपथ-पत्र

नाम.....

ग्राम + मोहल्ला:-.....

पोस्ट :-.....थाना:-.....

प्रखण्ड:-..... जिला:-.....

राज्य:-..... निवासी हूँ। मेरा मोबाइल संख्या.....

वाहन संख्या:-..... डी. एल. संख्या:-.....

है। मैं शपथ पत्र दे रहा/रही हूँ की केवल सच ग्रुप के संगठन से जुड़कर समाचार संकलन/छाया संकलन/विडियो संकलन एवं विज्ञापन संग्रह का कार्य करूंगा/करूंगी और कभी भी किसी से गलत ढंग से या प्रेस के आड़ में ब्लेकमेलिंग का कार्य नहीं करूंगा/करूंगी। किसी जाति या धर्म और क्षेत्र के प्रति द्वेष भावना से खबर नहीं लिखूंगा/लिखूंगी तथा किसी भी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाना तथा उसपर खबर लिखने के पूर्व सभी प्रकार की जानकारी का प्रमाण एकत्रित करूंगा/करूंगी। किसी भी खबर की पूरी जिम्मेवारी आलेख के लिए मेरी स्वयं की होगी, जिसमें संगठन कहीं से जिम्मेवार नहीं होगा।

मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं संगठन में जमा की जा रही दस्तावेज की प्रति पूर्ण-रूपेण सत्य है तथा मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी में कहीं भी असत्य पाया जाता है तो मेरे उपर भा० द० वि० की धारा 406 एवं 420 के तहत संगठन मुझपर मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अतः मैंने संगठन के सभी नियमों को पढ़-समझ लिया है और बिना किसी दबाव में संगठन में कार्य करने की इच्छा रखता/रखती हूँ और संगठन के द्वारा बनाये गये सभी नियम-कानून का पालन सदैव करूंगा/करूंगी।

आपका विश्वासी

स्थान :-

तिथि :-...../...../20

(आवेदक का हस्ताक्षर)

(अधिवक्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर/तिथि)

नाम:-.....

(अनुशंषाकर्ता का हस्ताक्षर एवं तिथि)

नाम:-.....

दस्तावेज संलग्न:-.....

1. पहचानकर्ता का हस्ताक्षर

नाम:-.....

पति/पिता:-.....

पेशा:-.....

दस्तावेज संलग्न:-.....

मोबाइल संख्या:-.....

1. पहचानकर्ता का हस्ताक्षर

नाम:-.....

पति/पिता:-.....

पेशा:-.....

दस्तावेज संलग्न:-.....

मोबाइल संख्या:-.....

केवल सच ग्रुप में जुड़ने के लिए नियम एवं शर्तें

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के समाचार पत्रों के पंजीयक (RNI) से निर्बाधित पिछले 11 वर्षों से 'केवल सच' हिन्दी मासिक पत्रिका और 06 वर्षों से 'केवल सच टाइम्स' द्विभाषीय मासिक पत्रिका का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है। संचारक्रांति के युग में केवल सच ने इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कदम रखा है और पोर्टल न्यूज www.kewalsachlive.in प्रारंभ किया है। बिहार प्रदेश के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों के सभी जिलों एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रतिनिधियों को संगठन से जोड़ा जा रहा है। जुड़ने के लिए संगठन के नियम एवं शर्तों को स्वीकार करने पर ही समाचार, छाया, विडियो एवं विज्ञापन संकलन की इजाजत दी जायेगी। नीचे लिखित नियम एवं शर्तों को मानना अनिवार्य है।

01. केवल सच संगठन के द्वारा बनाये गये सभी नियम एवं शर्त का पालन करूंगा/करूंगी। और पोर्टल न्यूज www.kewalsachlive.in में पूरी निष्ठा/ईमानदारी से समाचार संकलन करना होगा। विज्ञापन के आडू में किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन या उनके पदाधिकारी एवं कर्मचारी से रंगदारी मांगने/डरवाने/उनके खिलाफ खबर छापने व दिखाने की धमकी देने पर संगठन भी कार्रवाई करेगा। विज्ञापन के लिए विज्ञापन प्रस्ताव दें और आग्रह करें न की खबर को लेकर ब्लेकमेलिंग करें। ऐसा करना अपराध है और अपराध करने की इजाजत केवल सच ग्रुप नहीं देता।

02 अपने पदानुसार संगठन में सदस्यों को जोड़ना, सामाजिक कार्य के लिए “श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट” एवं “केवल सच सामाजिक संस्थान” के संरक्षक बनाने की दिशा में प्रयास करना, विज्ञापन के लिए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, व्यापारिक संगठनों, उत्पाद बेचने वाले कंपनी/एजेन्सी, जनप्रतिनिधि से सम्पर्क करना ताकि संगठन का नियमित प्रसारण एवं प्रकाशन जारी रहे।

03 थाना प्रभारी/अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सीपीपीओ/एमओ/जिला स्तर के पदाधिकारी/राज्य स्तर के पदाधिकारी/राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी/राजनेता/कलाकार/एनजीओ/ट्रस्ट या ऐसे व्यक्ति और संगठन अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो उसकी खबर को उजागर करना पहला कर्तव्य है न कि उनसे सौदा। पहले खबर प्रकाशित करें और उसके पहले उनसे उनका बयान मोबाइल पर ले/ मोबाइल नहीं उठाते तो SMS करें, उसपर भी जवाब नहीं आता है तो उनके नम्बर पर whatsapp करें इसके बाद भी जवाब नहीं मिलता तो खबर लिखें और दिखायें। www.kewalsachlive.in किसी को बदनाम नहीं करेगा, लेकिन भ्रष्ट अगर पत्रकारों को किसी भी कीमत पर फंसाने की कोशिश करेगा तो उनके लिए संगठन किसी भी न्यायालय में जाकर उनसे लड़ेगा।

04 किसी जाति या धर्म और क्षेत्र के प्रति द्वेष भावना से खबर नहीं लिखूंगा/लिखूंगी तथा किसी भी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाना तथा उसपर खबर लिखने के पूर्व सभी प्रकार की जानकारी का प्रमाण एकत्रित करूंगा/करूंगी। किसी भी खबर की पूरी जिम्मेवारी आलेख/फोटो/विडियो के लिए खुद की होगी, जिसमें संगठन कहीं से जिम्मेवार नहीं होगा।

05 प्रेस कार्ड की वैधता एवं उसका सदुपयोग करना अनिवार्य है। अगर पुलिस विभाग या अन्य कोई भी विभाग प्रेस कार्ड दिखाने को कहे तो अवश्य दिखाया जाये और सभी प्रेस कार्डधारी लोगों की सूचना www.kewalsachlive.in पर भी विभाग देख सकता है। केवल सच ग्रुप के सभी सदस्यों की सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी तथा ब्यूरो के साथ सभी प्रखण्ड संवाददाता की सूचना जिले के डीएम/एसपी/डीपीआरओ और स्थानीय थाना को दी जायेगी। प्रेस कार्ड निर्गत करने के पूर्व एसपी के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना ही होगा। संगठन किसी भी परिस्थिति में गलत करने वाले प्रतिनिधि के उपर मुकदमा दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होगा।

06. (1) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, (2) टेक्नीकल योग्यता यदि कोई हो, (3) वोटर कार्ड, (4) पैन कार्ड (आयकर विभाग), (5) ड्राईविंग लाइसेंस, (6) आधार कार्ड, (7) चरित्र प्रमाण-पत्र (एस० पी० द्वारा निर्गत), (8) 11 पासपोर्ट साईज फोटो, (9) 2 पहचानकर्ता का विवरण एवं पहचान प्रमाण-पत्र का छाया-प्रति एवं फोटो, (10) बैंक पासबुक की छायाप्रति, (11) अनुदान, इत्यादि की छायाप्रति को कार्यपालक दंडाधिकारी/नोटरी पब्लिक से अभिप्रमाणित कराकर आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है और संगठन प्रधान को दिखाने के लिए मूल प्रति भी साथ लाना होगा।

07. आपके द्वारा दी गई जानकारी एवं संगठन में जमा की जा रही दस्तावेज की प्रति पूर्ण-रूपेण सत्य है तथा आपके द्वारा दी जा रही जानकारी में कहीं भी गलत पाया जाता है तो आपके उपर भा० द० वि० की धारा 406 एवं 420 के तहत संगठन मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र होगा। संगठन के सभी नियम-कानून का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी।

(ब्रजेश मिश्र)

मुख्य संपादक सह संस्थापक